राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद् के तहत

आन्तरिक प्रोफेशनल रिसोर्स परसन्स तैनात करने संबंधी नीति

1. भूमिका

राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद् द्वारा नियोजित एवं संचालित की जा रही विभिन्न परियोजनाओं के तहत स्वयं सहायता समूहों एवं उनके फेडरेशन का निर्माण कर उन्हें समुदाय आधारित संगठन के रूप में तैयार किया जाना है। वर्तमान में इस कार्य के लिए सामुदायिक संदर्भ व्यक्ति (CRPs) द्वारा कार्य कराया जा रहा है, जिसके अन्तगर्त प्रदेश में विधमान फेडरेशन से चयनित, इन सी.आर.पी. को छः जिलो की सात पंचायत समितियों में तैनात कर कार्य कराया जा रहा है। इन्हें फेडरेशन सी.आर.पी. के रूप में जाना जाता है।

सी.आर.पी. का मुख्य कार्य स्वयं सहायता समूह की अवधारण, लाभ, प्रक्रिया के संबंध में समुदाय में समझ स्थापित कर, समूह निर्माण कार्य करना है। शुरूआती दौर में चयनित इन सी.आर.पी. को 6 जिलों (डूँगरपुर, दौसा, धौलपुर, बीकानेर, चुरू एवं उदयपुर) में तैनात किया गया, जिन्हानें उन क्षेत्रों में कार्य कर रहें पी.एफ.टी. सदस्यों के सहयोग से कार्य किया। किए गए इस प्रथम सफल प्रयास से कई अनुभव सामने आए। इस प्रक्रिया को और बेहतर बनाने के लिए के कई सुझाव आये जैसे –

1. चूँकि आंतरिक सी.आर.पी. का ठहराव एक गाँव में निश्चित समय के लिए ही है अतः इस दौरान किए गए प्रयास (समूह निर्माण) को सत्त रूप से सहयोग देने एवं समूह को विकसित करने के लिए प्रोफेशनल रिसोर्स पर्सनस (पी.आर.पी.)की आवश्यकता है।

2. वर्तमान में पी.एफ.टी. सदस्य भी सीखने की प्रक्रिया में है एवं उन्हें भी पी.आर.पी. का सहयोग आवश्यक है। जहाँ पी.एफ.टी. सदस्य की संख्या कम है या नहीं है वहाँ पी.आर.पी. तैनात किया जाना और भी आवश्यक है।

राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद् में 5 रिसोर्स ब्लॉक में भी सर्प, आन्ध्रप्रदेश से सी.आर.पी. के साथ–साथ पी.आर.पी. तैनात किये गये है जिससे कि कार्य को बिना किसी बाधा के जारी रखा जा सके एवं पी.एफ.टी. सदस्यों को भी निरन्तर सहयोग मिलें। इससे न केवल वर्तमान में कार्य को सुचारू रूप से लागू किया जा सकेगा बल्कि पी.एफ.टी सदस्य भी अपनी सीख के आधार पर, दो वर्ष की अवधि के उपरान्त आत्मविश्वास के साथ कार्य को सफलता पूर्वक संचालित कर सकेंगे।

राजस्थान के कई उपखण्डों में स्वयं सहायता समूह फेडरेशन सफलता पूर्वक कार्य कर रहे है जिन्होंनें कई स्वयं सहायता समूहों को मजबूती प्रदान कर उन्हें सामाजिक सशक्तिकरण की और अग्रसर किया है। गाँव में स्वयं सहायता समूह आन्दोलन को लेकर किए जा रहे प्रयासों को और सुदृढ बनाने के लिए इन फेडरेशन के अनुभवी व्यक्तियों को प्रोफेशनल रिसोर्स पर्सन्स के रूप में चयनित कर तैनात किया जाना उचित होगा।

पी.आर.पी. के चयन हेतु प्रक्रियाः शुरूआती दौर में उन फेडरेशन से पी.आर.पी. का चयन किया जाना उचित होगा, जिनके साथ राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद् का 'सहमति ज्ञापन' निर्धारित हो चुका है।

2. प्रोफेशल संदर्भ व्यक्ति के कार्य

1. प्रत्येक सी.आर.पी. राउण्ड के दौरान पी.आर.पी. उसी गॉव में गरीबों को संगठित कर स्वयं सहायता समूह बनाने की प्रक्रिया में उनके साथ जुटेंगे। स्वयं सहायता समूह मे बुक कीपर की पहचान कर उसे प्रशिक्षित करेंगे। अच्छे समूहों में माइक्रोक्रेडिट प्लान का प्रशिक्षण देंगे।

2. सी.आर.पी. टीम के राउण्ड के बाद स्वयं सहायता समूह को एस.एच.जी. अवधारणा और प्रबन्धन व अन्य विषयों पर प्रशिक्षण देंगे।

3. पी.आर.पी. पहचान की गई महिला एक्टीविस्ट को समूह संचालन की अवधारणा प्रबन्धन और आवश्यकता के साथ–साथ रिकार्ड संधारण के महत्व पर प्रशिक्षण देगें।

4. पी.आर.पी. स्वयं सहायता समूहों के बैक लिकेंज करवाने, प्रायोरिटी प्लान (PP) एवं माइक्रोक्रेडिट प्लान (MCP) बनवाने में पूर्ण सहयोग देगें।

5. क्षेत्र में विद्यमान स्वयं सहायता समूहो के को–ओप्शन में भी पी.आर.पी. अपना सहयोग देंगे।

6. पी.आर.पी. अच्छे स्वयं सहायता समूहों को एवं महिला एक्टीविस्ट को माइक्रो क्रेडिट प्लान बनाने का प्रशिक्षण देगा। इस प्रशिक्षण मे बुक कीपर भी साथ रहेगा।

7. तीन राउण्ड पूरा होने पर सी.डी.ओ./उत्थान संस्थान बनाने के लिए स्वयं सहायता समूह को प्रशिक्षण देगें व उनकी मीटिंग करेंगे व किसी अच्छे उत्थान संस्थान का भ्रमण करायेंगें।

8. पी.आर.पी. उत्थान संस्थान के गठन के लिए स्वयं सहायता समूहों के मुखियाओ का प्रशिक्षण करेगें ओर उत्थान संस्थान बनाने कि प्रक्रिया को सुगम करेगें।

9. पी.आर.पी. उत्थान संस्थान के कम्यूनिटी मोबीलाईजर को, स्वयं सहायता समूह मे से चयनित करेगा/करेगी। उसे स्वयं सहायता समूह के मार्गदर्शन ओर उत्थान संस्थान की मीटींग करने के लिए ट्रेनिंग देगा।

10. पी.आर.पी., कम्यूनिटी मोबीलाईजर को उत्थान संस्थान की पुस्तक संधारण, सी.आई.एफ. प्रबन्धन के ऊपर सघन प्रशिक्षण देगा।

11. पी.आर.पी. उत्थान संस्थान के अन्दर उप समितिया, स्वयं सहायता समूह मूल्यांकन, सामाजिक अंकेक्षण, सामाजिक समरस्ता व इन्टाइटलमेंट कमिटी,लोन कमिटी,/बैंक लोन कमिटी के गठन प्रक्रिया को सुगम करेगा और इन उप समितियों की इनके विषय में प्रशिक्षण देगा।

12. उत्थान संस्थान की मीटिंग करेंगे व उनको मजबूत बनाएंगे।

3. प्रोफेशनल संदर्भित व्यक्ति (पी.आर.पी.) कि योग्यता

1. प्रोफेशल संदर्भ व्यक्ति कम से कम 12^{th}/ग्रेजुएट होना चाहिए।

2. उसे स्वयं सहायता समूह मे रिकार्ड व अन्य कार्य करने का कम से कम 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

3. उसकी आयु 18 से 45 वर्ष होनी चाहिये।

4. उसे सी.डी.ओ./क्लस्टर/फेडरेशन मे कार्य करने का अनुभव होना चाहिए।

5. प्रोफेशनल संदर्भ व्यक्ति एक अच्छा प्रशिक्षण दाता होना चाहिए। उसे प्रतिभागी टूल और तकनीक उपयोग करने का ज्ञान होना चाहिए।

6. प्रोफेशल संदर्भ व्यक्ति को स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए। उसे लिखने व मौखिक रूप से विषय वस्तु के आदान–प्रदान का अच्छा ज्ञान होना चाहिए।

7. उसके पास दुपहिया वाहन चलाने का लाइसेंस होना चाहिये।

4. पी.आर.पी. चयन की प्रक्रिया

पी.आर.पी. के चयन हेतु निम्न प्रक्रिया अपनाई जाएगी–

1. डी.पी.एम. को–ओप्टेड स्वयं सहायता समूह फेडरेशन से योग्य सदस्यों की सूची लेंगे।

2. पी.आर.पी. का चयन 3 सदस्यी टीम (1 सदस्य डीपीएमयू, 1 सदस्य एसपीएमयू एवं 1 सदस्य, स्वयं सहायता समूह फेडरेशन से) द्वारा किया जावेगा और वे अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगे। तथा राज्य स्तर पर स्टेट मिशन डायरेक्टर के निर्देशन में गठित तीन सदस्यी कमेटी पी.आर.पी. आंकलन रिपोर्ट पर अपनी राय देकर पी.आर.पी. सेवाये प्राप्त करने के लिये, स्वयं सहायता समूह फेडरेशन के साथ सहमति ज्ञापन के लिए प्रस्तुत करेगी।

3. चयनित सदस्य एवं स्वयं सहायता समूह फेडरेशन के मध्य सहमति पत्र हस्ताक्षरित किया जाएगा।

4. इस प्रक्रिया के पूर्ण होने पर चयनित सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।

5. महिला पी. आर. पी. को प्राथमिकता दी जायेगी।

5. राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद् एवं स्वयं सहायता समूह फेडरेशन के मध्य सहमति ज्ञापन

परियोजना की आवश्यकता अनुसार राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, पी.आर.पी. की अनुमानित संख्या निकाल कर स्वयं सहायता समूह फेडरेशन से संवाद स्थापित करेगा, ताकि उनकी उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद एवं स्वयं सहायता समूह फेडरेशन के आपसी सहमति पर एक सहमति ज्ञापन (प्रारूप संलग्न) हस्ताक्षरित किया जायेगा।

6. पी.आर.पी. का क्षमता वर्धन

पी.आर.पी. का क्षमता वर्धन एवं प्रशिक्षण आवश्यक्तानुसार अलग–अलग चरणों में आर जी ए वी पी द्वारा दिया जायेगा। प्रत्येक चरण में 20–30 पी.आर.पी. को प्रशिक्षण दिया जायेगा। प्रत्येक पी.आर. पी. को प्रशिक्षण के प्रथम चरण में आवश्यक रूप से भाग लेना होगा तभी वह अपने कार्य को प्रारम्भ कर सकेगा/सकेगी। प्रशिक्षण के प्रथम चरण मुख्य रूप से परियोजना की अवधारणा उद्देश्य, पी.आर.पी. की भूमिका एवं दायित्वों आदि पर आधारित होगा।

सर्वप्रथम पी.आर.पी. को इंटेनसिव ब्लॉक में एक वर्ष के लिए तैनात किया जायेगा। उसके बाद उसने कार्य के गुणवत्ता का आकंलन करके ही उन्हें दूसरे वर्ष के लिए पुनः तैनात किया जा सकेगा।

7. पी.आर.पी. का मानदेय

1– 12वीं पास पी.आर.पी. हेतु रू 11,900.00 प्रतिमाह (रू. 9000.00 मानदेय, रू. 2000.00 स्थानीय यात्रा अलाउन्स एवं रू. 700.00 फोन एवं 200रू. फेडरेशन चार्ज)

2– बी.ए. एवं अधिक शैक्षणिक योग्यता वाले पी.आर.पी. हेतु रू. 12,900.00 प्रतिमाह (रू. 10,000.00 मानदेय, रू. 2000.00 स्थानीय यात्रा अलाउन्स एवं रू. 700.00 फोन एवं 200 रू. फेडरेशन चार्ज)

8. मानदेय की प्रक्रिया

डी.पी.एम. प्रत्येक माह की 28 तारीख को पी.आर.पी. उपस्थिति की सूचना एस.एच.जी. फेडरेशन को देंगे। 5 दिन के अन्दर एस.एच.जी. फेडरेशन मानदेय राशि के लिये, को डी.पी.एम.यू. को इनवोईस भेजेगें। फेडरेशन को डी.पी.एम.यू. इनवोईस के आधार पर 5 दिन के अन्दर राशि हस्तांतरित करेगें और फेडरेशन निर्धारित मानदेय पी.आर.पी. को देगा।

9. रिर्पोटिंग व मूल्यांकन

आर.जी.ए.वी.पी. प्रत्येक पी.आर.पी. के द्वारा माह में कार्य निष्पादन संकेतकों की पहचान की जायेगी। डी.पी.एम. 3 माह बैठक कर करके निष्पादन संकेतकों के आधार पर मूल्यांकन करेंगे और रिर्पोट एस.पी.एम.यू. को भिजवायेंगे। पी.आर.पी. द्वारा एस.एच.जी. फेडरेशन के माध्यम से निम्नलिखित रिर्पोट प्रस्तुत करेंगे :

1. मासिक प्रगति रिर्पोट,
2. एम.ओ.यू./समझौते की अवधि के अंत में संकलित रिर्पोट।

संलग्न–1

सहमति ज्ञापन

राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद (आर.जी.ए.वी.पी.) तृतीय तल उधोग भवन, तिलक मार्ग, सी. स्कीम, जयपुर, राजस्थान, (जो आगे चलकर ''आर.जी.ए.वी.पी.'' के रुप में जाना जायेगा, जिसका प्रतिनिधित्व राज्य मिशन निदेशक जिसमें वे स्वयं या उनके उत्तराधिकारी या उनके द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता शामिल होगा) को प्रथम पक्ष के रुप में जाना जाएगा.

और

.....(एस.एच.जी. फेडरेशन),.....
(पता), का प्रतिनिधित्व .....फेडरेशन के अध्यक्ष/सचिव या उनके उत्तराधिकारियों शामिल करेगा, जो आगे चलकर द्वितीय पक्ष के रुप में जाना जाएगा.
(आर.जी.ए.वी.पी. और .....एस.एच.जी. फेडरेशन बाद में सामूहिक रुप में ''पक्षों'' के और व्यक्तिगत रुप में ''पक्ष'' के लिए जाना जाएगा)

के बीच

यह सहमति ज्ञापन.....(दिन).....(माह) 2013 में .....(स्थान) पर किया जाता है।

अतेव–
यह सहमति ज्ञापन आर.जी.ए.वी.पी. द्वारा एस.एच.जी. फेडरेशन से क्रियार्यान्वयन क्षमता को मजबूत बनाने के लिए, तकनीकी सहायता और क्रियार्यान्वयन सहयोग के रुप में प्रफौशनल रिर्सोस परर्सन(पी. आर पी.) की सेवाए प्रदान करने के लिए है। इस सहमति ज्ञापन के माध्यम से अपेक्षा है कि एस. एच.जी. फेडरेशन निर्दिष्ट पी.आर.पी. की सेवाएं प्रदान करने की सतत् प्रक्रिया को आर.जी.ए.वी.पी. के विभिन्न परियोजनाओं में आर.जी.ए.वी.पी. के द्वारा मांग के अनुसार सुनिश्चित करेगा।

इस ज्ञापन के साक्ष्य संदर्भ निम्न प्रकार रहेंगे :–

1. भागीदारी का क्षेत्र (स्कोप)
इस सहमति ज्ञापन का उद्देश्य आर.जी.ए.वी.पी. की क्रियार्यान्वयन क्षमता को बढाने के लिए पी.आर.पी. की संवायें उपलब्ध कराने के लिये सहयोग की व्यवस्था है।

2. भागीदारी की मुख्य गतिविधियां
इस सहमति ज्ञापन में .....(एस.एच.जी.फेडरेशन)..... पी.आर.पी. आर.जी.ए.वी.पी. को उपलब्ध करागी जिसके लिये आर.जी.ए.वी.पी. रू. .....(शब्दों में .....) दो वर्ष में मासिक रिर्पोट के अधार पर प्रत्येक माह भुगताान करेगी।

3. क्रियान्वयन व्यवस्था

इस साझेदारी के तहत पी आर पी की की सेवाओं के लिए .....(एसएचजी फेडरेशन) एक अनुभवी व्यक्ति को प्रबंधक के रुप में नामित करेगा। जोकि साझेदारी के संचालन के लिए; साझेदारी में परिकल्पित समझौता ज्ञापन और आर.जी.ए.वी.पी. के साथ उचित समन्वय स्थापित करेगा। इसके लिए.....(एस.एच.जी. फेडरेशन) से ..... (फेडरेशन प्रबंधक).....(पता और मोबाइल) को नामित किया है।

आर.जी.ए.वी.पी. से फेडरेशन के लिए एक संपर्क व्यक्ति के रुप में, एक विरिष्ठ अधिकारी को नामित करेगा। इसके के लिए आरजीएवीपी से श्री/श्रीमति.....(पता और मोबाइल) को मनोनित किया गया है।

4. भागीदारी समझौते की अवधि

भागीदारी समझौते की अवधि, इस समझौते पर हस्ताक्षर करने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा। समझौते की अवधि को दोनों पक्ष के बीच आपसी सहमति पर आगे बढाया जा सकेगा।

5. रिर्पोटिंग और समीक्षा तंत्रः–

डी.पी.एम. .....(जिला) द्वारा आर.जी.ए.वी.पी. की ओर से प्रत्यके पीआरपी के द्वारा प्रत्येक माह में निष्पादन संकेतकों की पहचान करके तीन माह में मूल्यांकन करेंगे और रिर्पोट एस.पी.एम.यू. को भिजवायेंगे।

.....(एस.एच.जी. फेडरेशन) निम्नलिखित रिर्पोट, आर.जी.ए.वी.पी. द्वारा मनोनीत अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे :

1. मासिक प्रगति रिर्पोट(प्रारूप आर जी ए वी पी द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा)

2. एम.ओ.यू./समझौते की अवधि के अंत में संकलित रिर्पोट।

डी.पी.एम.....(जिला), आर.जी.ए.वी.पी. की ओर से समझौते की साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की निगरानी के लिए जिम्मेदार होंगे। डी.पी.एम. मासिक आधार पर प्रगति की समीक्षा करने के लिये .....(एसएचजी फेडरेशन) के साथ बातचीत करेंगे। राज्य मिशन निदेशक–आर.जी.ए.वी.पी. भी प्रगति की समीक्षा के लिए अन्य उपयुक्त अधिकारियों/विशेषज्ञों को मनोनित कर सकते हैं।

6. भुगतान शर्तें और मापदंड

विस्तृत लागत अनुमान में संलग्न हैं ''संलग्नक–अ''

प्रत्येक माह के अन्त में, मानदेय राशि के लिये, ...(एसएचजी. फेडरेशन) डी.पी.एम.यू. को इनवोईस भेजेगें। फेडरेशन को आरजीएवीपी द्वारा डी.पी.एम.यू. के माध्यम से इनवोईस के आधार पर 5 दिन के अन्दर राशि हस्तांतरित करेगें और फेडरेशन निर्धारित मानदेय पी.आर.पी. को भुगतान करेगा।

7. व्यय का लेखा और लेखा परिक्षा

.....(एस.एच.जी. फेडरेशन) को सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड रखना होगा, बिल और प्राप्तियां आदि। यह चार्टर्ड एकाउटेंटस द्वारा प्रत्येक वर्ष .....(एस. एच.जी.फेडरेशन) एक लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र प्रदान करेगा। आर.जी.ए.वी.पी. के आंतरिक लेखा परीक्षक को समझौता ज्ञापन विशिष्ट व्यय की समीक्षा करने की अनुमती होगी।

9. अप्रत्याशित घटना

परिभाषा : इस समझौता के प्रयोजनों के लिए, ''अप्रत्याशित घटना'' एक घटना है जो कि किसी भी पक्ष के उचित नियंत्रण से परे है, जो पूर्वाभासी नहीं हैं, जो अपरिहार्य हैं, और जो एक पक्ष/पार्टी के प्रदर्शन को असंभव बनाती है और यथोचित परिस्थितियों के रुप में असंभव माना जाता है, अव्यावहारिक हैं और उन आवश्यकताओं के विषय के तहत शामिल हैं, लेकिन उन तक सीमित नहीं हैं, युद्व, दंगे, नागरिक विकार, भूकंप, आग, विस्फोट, तुफान, बाढ या अन्य प्रतिकूल मौसम की स्थिति, हडताल, तालाबंदी, या अन्य कार्रवाई जब्ती या किसी अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा कार्रवाई।
अप्रत्याशित घटना में शामिल नहीं होगा :

(1) कोई भी घटना जो एक पक्ष/पार्टी द्वारा जानबूझकर की गयी या ऐसे पक्ष/पार्टी विशेषज्ञों, उप–सलाहकार या एजेंट या कर्मचारियों की लापरवाही के कारण होता है, और न ही

(2) कोई भी घटना जो एक मेहनती पक्ष/पार्टी जो कि अपेक्षा के उनुरूप परिणाम दे सकता है परन्तु इस समझोते के समापन के समय बचने के लिए या अपने दायित्वों को पुरा करने में असफल हो, शामिल नहीं होगा।

अप्रत्याशित घटना के अन्तर्गत किसी भी भुगतान के लिए आवश्यक धन की कमी या विफलता शामिल नहीं होगा।

9. समझौता ज्ञापन का उल्लंघन/भंग

एक पक्ष/पार्टी के अपने दायित्वों को पूरा करने में विफलता/डिफाल्ट को समझोता उल्लघन माना जाएगा। अप्रत्याशित घटना की स्थिति में यदि एक पार्टी द्वारा यदि समुचित प्रयास किया गया हो तो इसे समझाते का उल्लंघन नहीं माना जाएगा।

10. समाप्ति.

इस सहमति पत्र पर 30 दिनों की एक लिखित सूचना दे कर किसी भी पार्टी द्वारा समाप्त किया जा सकता है।

11. समाप्ति पर भुगतानः

इस समझौते के समापन पर आर.जी.ए.वी.पी.....(एसएचजी फेडरेशन) निम्नलिखित भुगतान करेगाः–

(क) आर.जी.ए.वी.पी. द्वारा.....(एसएचजी फेडरेशन) को सेवा समाप्ति की प्रभावी तिथि या समझोता समाप्ति की प्रभावी तिथि तक के संतोषजनक ढंग से प्रदर्शन के लिए किए गए व्यय का भुगतान संलग्नक–''अ'' के अनुसार करेगा।
(ख) समझौता समाप्ती से पूर्व फेडरेशन द्वारा लिये गये समस्त अग्रिम का निस्तारण कराया जाएगा।

12 संशोधन

इस एम.ओ.यू. में दोनों पक्षों के आपसी लिखित समझौते द्वारा संशोधन किया जा सकता है। समझौते में किसी भी प्रकार का संशोधन बिना किसी प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किया जाएगा। ये संसोधन इस समझौते के अनुपूरक समझोते द्वारा समझौते की अन्तिम तिथि से पूर्व होगा।

13. परस्पर सम्मत समझौताः–

दोंनों पक्ष किसी भी विवाद पर पहले आपसी परामर्श के द्वारा किसी भी विवाद का मित्रभाव से हल की तलाश करेगा।

14. विवाद समाधन

पक्षों/पार्टियों के बीच किसी भी विवाद के तहत उत्पन्न होने या इस समझौते की मित्रभाव से नहीं सुलझा सकने की स्थिति में शासन सचिव ग्रामीण विकास, राजस्थान सरकार द्वारा किया गया निर्णय अन्तिम होगा।

राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद (आर.जी.ए.वी.पी.) और .....
...(एसएचजी फेडरेशन) द्वारा ये समझौता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से नीचे लिखी तिथि को गवाहों की साक्षी के साथ हस्ताक्षरित किया गया।

आर.जी.ए.वी.पी. के लिए **.....(एसएचजी फेडरेशन) के लिये**

हस्ताक्षरः **हस्ताक्षरः**
दिनांकः **दिनांकः**

गवाहः

नामः

पदनामः

पताः

पी.आर.पी. के लिए सेवा शुल्क संलग्नक – अ

क्र. स.	विवरण	दर (रू. में)
1	12वीं पास पी.आर.पी. हेतु	11700 / – / पी.आर.पी. / माह
2	बी.ए. एवं अधिक शैक्षणिक योग्यता वाले पी.आर.पी. हेतु	12700 / – / पी.आर.पी. / माह
3	फेडरेशन चार्ज	200 / – / पी.आर.पी. / माह